

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)  
पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार करवा आ०ए०एस०

मुकदमा संख्या  
179/16

दायर दिनांक  
12.07.2016

निर्णय दिनांक  
28.06.2019

1. किशन लाल पुत्र परतिया जाति अहीरान साकिन गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज०।

:- प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1. महेन्द्र पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज०।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला-अलवर राज०। :-अप्रार्थीगण
3. सुरजभान पुत्र श्री परतिया कौम अहीर निवासी गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर

:-तर० अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.ऐ.

आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा०दी०

एवं

मुकदमा संख्या

दायर दिनांक

246/16

09.09..2016

1. किशन लाल पुत्र परतिया जाति अहीरान साकिन गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज०।

:- प्रार्थीगण

:: बनाम ::

1. महेन्द्र पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज०।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब, कोटकासिम जिला-अलवर राज०। :-अप्रार्थीगण
3. सुरजभान पुत्र श्री परतिया कौम अहीर निवासी गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर

:-तर० अप्रार्थी



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.ऐ.

आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा०दी०

उपस्थित:-

1. श्री दुलीचन्द यादव अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री भगत सिंह अभिभाषक अप्रार्थीया, मुकेश देवी

प्रार्थी ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.टी.ऐ. आदेश 39 नियम 1 व 2 सपटित धारा 151 जा0दी0 पेश किया है उपरोक्त अनुदान का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगन ने विस्तृत तथ्यो सहित अदालत श्रीमान में प्रार्थीगन द्वारा पेश कर दिया गया है जिसमें सफलता की पूरी-पूरी आशा है। प्रस्तुत कर्दा प्रार्थना पत्र शपथ पत्र एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का केस बाखूबी प्राइमाफेसाई आयद वो साबित होता है। मिन प्रार्थीगन की आराजीयात खसरा नम्बरान 411 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा, 32 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 131 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 132 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज0 है जिसमें मिन प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा कब्जा काशत खातेदारी का रहा है। रेवेन्यु रिकार्ड में बतौर खातेदार अमल हो रहा है। अप्रार्थी संख्या-1 की आराजीयात खसरा नम्बरान 957 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 186 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा, ख0 न0 711 रकबा 1 बीघा, 1193 रकबा 0-15 बीघा जिसमें ख0 नं0 957 व 186 में 1/4 हिस्सा, व 711 सम्पूर्ण व 1193 में 1/2 भाग अप्रार्थी का है, वाके ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज0 है जिनका अप्रार्थी संख्या-1 का कब्जा काशत खातेदारी का रहा है।

मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 के पिता मातादीन पुत्र मंगतिया ने अपनी काशत की सुविधा के लिए आराजीयात को एकीकृत (कन्सोलिडेट) करने की ईच्छा से दिनांक 21.05.2010 को अपनी अपनी उपरोक्त आराजीयात को एक दूसरे के विनिमय कर लिया और उसी दिन एक स्टाम्प पर निष्पादित किया गया जो असल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

विनिमय के तहत पक्षकारान में यह तय हुआ था कि विनिमय में प्राप्त आराजीयात पर दोनो पक्षो को ही समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। जो उनको अपनी आराजीयात में प्राप्त थे। दोनो पक्ष विनिमय में प्राप्त आराजीयात पर काबिज होकर लगातार काशत करते चले आ रहे है। उस समय आराजीयात बैंक में रहन थी और फक कराने के बाद तबादला की रजिस्ट्री करा लेंगे। पक्षकारान में से जो भी पक्ष उक्त विनिमय से फिरेगा वह दूसरे पक्ष को मय लागत कीमत सूद इत्यादि के अलावा 10 लाख रुपये क्षति पूर्ति के देगा।

मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पिता विनिमय के अनुसार अपने-अपने पास आराजीयात पर काबिज हों गये व काशत करते चले आ रहे है। मिन प्रार्थीगण ने आराजी ख0 सं0 711 में सबमर्सिबल बोरिंग किया हुआ है तथा जिस पर अपने नाम से विधिवत संबध लिया हुआ है। जिसमें 2 लाख रुपये खर्च हुये है तथा इस बोरिंग से पाईप दबाकर अन्य खेतो की सिचाई करते है। जिसमें भी लाखो रुपये का खर्च किये हुये है।

मिन प्रार्थीगण अब भी पूर्व में किये गये विनिमय को कानुनी अमली जामा पहनाने को तैयार है। लेकिन अप्रार्थी सं0 1 के मन में बेईमानी आ गई है। तथा ख0 न0 711 को बेचने की फिराक में है। यदि अप्रार्थी अपने मन्सूबो में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थीगण करबाद हो जायेगे और भूखों मरने की नौबत पैदा हो जायेगी इसलिए अदालत श्रीमान की शरण में आकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

अप्रार्थी संख्या-1 ने दिनांक 03.05.2016 को धमकी दी है कि वह तबादला नही रखेगा ओर आराजीयात को बेचेगा। इसलिए प्रार्थना पत्र अविलम्ब ही पेश किया जा रहा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने बेजा मन्सूबो में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति बहक प्रार्थीगण ही है। इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म ईम्तनाई चन्द्रोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थी सं० 1 को जरिये हुकम ईम्टनाई चन्द्रोजा से इस अमर से पाबन्द फरमाया जावे कि हाल आराजी ख० सं० 411 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा, 32 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 131 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 132 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज० के 1/3 हिस्सा से प्रार्थीगण को अप्रार्थी सं० 1 जबरन बेदखल कब्जा आदि ना करे। आराजी को जोतने फसल बोने काटने समेटने में रूकावट बाधा आदि पेदा ना करे। तथा प्रार्थीगण के आराजी व ख० सं० 711 में लगी सबमर्सिबल बोरिंग के उपयोग उपभोग प्रार्थीगण में अप्रार्थी किसी प्रकार मजाहम मदाखलत आदि पेदा ना करे ना ही रहन बय आदि से किसी प्रकार खुर्द बुर्द मुन्तकिल आदि करे राजस्व रिकार्ड एवं मोका की यथावत स्थिति कायम रखे।

प्रार्थना पत्रों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या-1 स्वयं दिनांक 05.05.2017 को उपस्थित हुआ उसके बाद अप्रार्थी संख्या-1 उपस्थित नहीं हुआ ना ही जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया इसलिए अप्रार्थी संख्या-1 का 31.05.2019 को जवाब बन्द कर दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 49 राज० काश्तकारी अधिनियम में आदेश 1 नियम 10 स्वीकार होने पर मुकेश देवी पत्नी महिपाल जाति अहीर निवासी सिरहोल तहसील व जिला-गुडगांवा (हरि०) को पक्षकार बनाया गया। जिन्होंने अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी को केस किसी भी सूरत में प्राइमाफेसाई आयद व साबित नहीं होता है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं० 3 सिर्फ इतना स्वीकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 186/8-03 बीघा वाके ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज० में स्थित है। बाकी खसरा नम्बरान के बारे में जानकारी ना होने के कारण अस्वीकार है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं० 1 महेन्द्र को 1/4 भाग खातेदारी कब्जा काश्त का था। आराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं० 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का मिन अप्रार्थीया श्रीमति मुकेशदेवी ने अप्रार्थी सं० 1 को समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर बाजाप्ता बाकब्जा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 के द्वारा अप्रार्थी सं० 1 से खरीद किया हुआ है। उक्त बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 को उप-पंजियक महोदय, कोटकासिम ने विधिवत रूप से पुस्तक सं० 1 जिल्द संख्या 284 में पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 2016001363 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 909 के पृष्ठ संख्या 27 से 32 पर चस्पा किया गया है। खरीद वक्त से ही मिन अप्रार्थीया अपने उक्त खरीदशुद्धा हिस्से पर आज तक बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काश्त करती चली आ रही है। मौके पर मिन अप्रार्थीया का उक्त खरीदशुद्धा भूमि पर वास्तविक कब्जा काश्त है। उक्त खरीदशुद्धा 1/4 हिस्से भूमि का उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 के अनुसार मिन अप्रार्थीया के नाम इंतकाल सं० 1038 तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया जा चुका है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 186 बाबत अदालत श्रीमान के द्वारा स्थगन आदेश जारी करने से उक्त इंतकाल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं० 1 का 1/4 भाग खातेदारी कब्जा काश्त का था। आराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं० 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का मिन अप्रार्थीया श्रीमति मुकेशदेवी ने अप्रार्थी सं० 1 को समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर बाजाप्ता बाकब्जा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 को उप-पंजियक महोदय, कोटकासिम ने विधिवत रूप से पुस्तक सं० 1 जिल्द संख्या 284 में पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 2016001363 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या जिल्द संख्या-909 के पृष्ठ संख्या 27 से 32 पर चस्पा किया गया है। खरीद वक्त से ही मिन अप्रार्थीया अपने उक्त खरीदशुद्धा हिस्से पर आज तक बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काश्त करती चली आ रही हैं। मौके पर मिन अप्रार्थीया का उक्त खरीदशुद्धा भूमि पर

Rw

वास्तविक कब्जा काशत है। उक्त खरीदशुद्धा 1/4 हिस्से भूमि का उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 के अनुसार पटवारी द्वारा दर्ज किया जा चुका है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 186 बाबत अदालत श्रीमान के स्थगन आदेश जारी करने से उक्त इंतकाल स्वीकार नहीं किया जा सका है। विवादितआराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं० 1 का 1/4 भाग खातेदारी कब्जा काशत का था। आराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं० 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का मिन अप्रार्थीया श्रीमति मुकेशदेवी ने अप्रार्थी सं० 1 को समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर बाजाप्ता बाकब्जा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 के द्वारा अप्रार्थी सं० 1 से खरीद किया हुआ है। उक्त बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 को उप-पंजियक महोदय, कोटकासिम ने विधिवत रूप से पुस्तक सं० 1 जिल्द संख्या 284 में पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 2016001363 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 909 के पृष्ठ संख्या 27 से 32 पर चर्या किया गया है। मिन अप्रार्थीया अपनी उक्त खरीदशुद्धा भूमि की सदभावी क्रेता है और खरीद वक्त से ही मिन अप्रार्थीया अपने उक्त खरीदशुद्धा हिस्से पर आज तक बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काशत करती चली आ रही है। मौके पर मिन अप्रार्थीया का उक्त खरीदशुद्धा भूमि पर वास्तविक कब्जा काशत है। उक्त खरीदशुद्धा 1/4 हिस्से भूमि का उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 के अनुसार मिन अप्रार्थीया के नाम इंतकाल सं० 1038 तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया जा चुका है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 186 की बाबत अदालत श्रीमान के द्वारा स्थगन आदेश जारी करने से उक्त इंतकाल स्वीकार नहीं किया जा सका है। प्रार्थी को कोई नापूर्ति होने वाली क्षति नहीं होती है। सुविधा का संतुलन व नापूर्तिनीय होने वाली क्षति बहक मिन अप्रार्थीया सं० 4 मुकेश देवी हैं। प्रार्थी, मिन अप्रार्थीया को हुक्मईम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद करवाने का अधिकारी नहीं है।

अतः जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 186 में मिन अप्रार्थीया सं० 4 के 1/4 खरीदशुद्धा हिस्से तक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं मिन अप्रार्थीया के उक्त 1/4 हिस्से खरीदशुद्धा तक स्थगन आदेश को मुक्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्रों में अंकित तथ्यों को दोहराया और कहा कि मिन प्रार्थीगन की आराजीयात खसरा नम्बरान 411 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा, 32 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, 131 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 132 रकबा 3 बीघा 06 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज० है जिसमें मिन प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा कब्जा काशत खातेदारी का रहा है। रेवेन्यु रिकार्ड में बतौर खातेदार अमल हो रहा है। अप्रार्थी संख्या-1 की आराजीयात खसरा नम्बरान 957 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, 186 रकबा 8 बीघा 03 बिस्वा, ख० न० 711 रकबा 1 बीघा, 1193 रकबा 0-15 बीघा जिसमें ख० न० 957 व 186 में 1/4 हिस्सा, व 711 सम्पूर्ण व 1193 में 1/2 भाग अप्रार्थी का है, वाके ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज० है जिनका अप्रार्थी संख्या-1 का कब्जा काशत खातेदारी का रहा है। मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं० 1 के पिता मातादीन पुत्र मंगतिया ने अपनी काशत की सुविधा के लिए आराजीयात को एकीकृत (कन्सोलिडेट) करने की ईच्छा से दिनांक 21.05.2010 को अपनी अपनी उपरोक्त आराजीयात को एक दूसरे के विनिमय कर लिया और उसी दिन एक स्टाम्प पर निष्पादित किया गया जो असल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

विनिमय के तहत पक्षकारान में यह तय हुआ था कि विनिमय में प्राप्त आराजीयात पर दोनो पक्षो को ही समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। जो उनको अपनी आराजीयात में प्राप्त थे। दोनो पक्ष विनिमय में प्राप्त आराजीयात पर काबिज होकर लगातार काशत करते चले

R/S

आ रहे है। उस समय आराजीयात बैंक में रहन थी और फक कराने के बाद तबादला की रजिस्ट्री करा लेंगे। पक्षकारान में से जो भी पक्ष उक्त विनिमय से फिरेगा वह दूसरे पक्ष को मय लागत कीमत सूद इत्यादि के अलावा 10 लाख रूपये क्षति पूर्ति के देगा। मिन प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का पिता विनिमय के अनुसार अपने-अपने पास आराजीयात पर काबिज हो गये व काशत करते चले आ रहे है। मिन प्रार्थीगण ने आराजी ख0सं0 711 में सबमर्सिबल बोरिंग किया हुआ है तथा जिस पर अपने नाम से विधिवत संबध लिया हुआ है। जिसमें 2 लाख रूपये खर्च हुये है तथा इस बोरिंग से पाईप दबाकर अन्य खेतो की सिचाई करते है। जिसमें भी लाखो रूपये का खर्च किये हुये है। मिन प्रार्थीगण अब भी पूर्व में किये गये विनिमय को कानुनी अमली जामा पहनाने को तैयार है। लेकिन अप्रार्थी सं0 1 के मन में बेईमानी आ गई है। तथा ख0 न0 711 को बेचने की फिराक में है। यदि अप्रार्थी अपने मन्सूबो में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थीगण करबाद हो जायेगे और भूखों मरने की नौबत पेदा हो जायेगी इसलिए अदालत श्रीमान की शरण में आकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

अप्रार्थी संख्या-1 ने दिनांक 03.05.2016 को धमकी दी है कि वह तबादला नही रखेगा ओर आराजीयात को बेचेगा। इसलिए प्रार्थना पत्र अविलम्ब ही पेश किया जा रहा है। यदि अप्रार्थी सं0 1 अपने बेजा मन्सूबो में कामयाब हो गया तो मिन प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति बहक प्रार्थीगण ही है। इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जरिये हुकम ईम्तनाई चन्द्रोजा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का यह भी कथन है कि बावजूद सूचना के अप्रार्थी उपस्थित नही हुए और ना ही जवाब पेश किया और स्टे की जानकारी होते हुए भी बैयनामा करवाया गया। सैक्सन 52 टी.पी. एक्ट का वायोलेशन होता है यानि वाद को न्यायालय में विचाराधीन होते हुए अन्तरण नल एण्ड वाईड है। इनका बैयनामा लिसपेन्डीस की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। प्रार्थी के तीनो बिन्दु साबित हैं इसके लिए प्रार्थी अधिवक्ता ने आर.एल.डब्लू. 2016 (1) आर.ई.बी. पेज 544, आर.एल.डब्लू. 2013(2) पेज 1049 की नजीर पेश की।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीया मुकेश देवी ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 49 राज0 काशतकारी अधिनियम में आदेश 1 नियम 10 स्वीकार होने पर मुकेश देवी पत्नी महिपाल जाति अहीर निवासी सिरहोल तहसील व जिला-गुडगांवा (हरि0) को पक्षकार बनाया गया। जिन्होने अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थी को केस किसी भी सूरत में प्राइमाफेसाई आयद व साबित नही होता है। प्रार्थना पत्र का जिमन नं0 3 सिर्फ इतना स्वीकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 186/8-03 बीघा वाकें ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर राज0 में स्थित है। बाकी खसरा नम्बरान के बारे में जानकारी ना होने के कारण अस्वीकार है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 186 मे अप्रार्थी सं0 1 महेन्द्र को 1/4 भाग खातेदारी कब्जा काशत का था। आराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं0 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का मिन अप्रार्थीया श्रीमति मुकेशदेवी ने अप्रार्थी सं0 1 को समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर बाजाप्ता बाकब्जा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 के द्वारा अप्रार्थी सं0 1 से खरीद किया हुआ है। उक्त बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 को उप-पंजियक महोदय, कोटकासिम ने विधिवत रूप से पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 284 में पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 2016001363 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 909 के पृष्ठ संख्या 27 से 32 पर चस्पा किया गया है। खरीद वक्त से ही मिन अप्रार्थीया अपने उक्त खरीदशुद्धा हिस्से पर आज तक बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काशत करती चली आ रही है। मौके पर मिन अप्रार्थीया का उक्त खरीदशुद्धा भूमि पर वास्तविक कब्जा काशत है। उक्त खरीदशुद्धा 1/4 हिस्से भूमि का उक्त रजिस्टर्ड

*RW*

बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 के अनुसार मिन अप्रार्थीया के नाम इतकाल सं० 1038 तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया जा चुका है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 186 बाबत अदालत श्रीमान के द्वारा स्थगन आदेश जारी करने से उक्त इतकाल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं० 1 का 1/4 भाग खातेदारी कब्जा काशत का था। आराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं० 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का मिन अप्रार्थीया श्रीमति मुकेशदेवी ने अप्रार्थी सं० 1 को समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर बाजाप्ता बाकब्जा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 को उप-पंजियक महोदय, कोटकासिम ने विधिवत रूप से पुस्तक सं० 1 जिल्द संख्या 284 में पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 2016001363 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या जिल्द संख्या-909 के पृष्ठ संख्या 27 से 32 पर चस्पा किया गया है। खरीद वक्त से ही मिन अप्रार्थीया अपने उक्त खरीदशुद्धा हिस्से पर आज तक बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काशत करती चली आ रही हैं। मौके पर मिन अप्रार्थीया का उक्त खरीदशुद्धा भूमि पर वास्तविक कब्जा काशत है। उक्त खरीदशुद्धा 1/4 हिस्से भूमि का उक्त रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 के अनुसार पटवारी द्वारा दर्ज किया जा चुका है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 186 बाबत अदालत श्रीमान के स्थगन आदेश जारी करने से उक्त इतकाल स्वीकार नहीं किया जा सका है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं० 1 का 1/4 भाग खातेदारी कब्जा काशत का था। आराजी खसरा नम्बर 186 में अप्रार्थी सं० 1 का 1/4 हिस्सा खातेदारी का मिन अप्रार्थीया श्रीमति मुकेशदेवी ने अप्रार्थी सं० 1 को समस्त प्रतिफल की राशि अदा कर बाजाप्ता बाकब्जा रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 के द्वारा अप्रार्थी सं० 1 से खरीद किया हुआ है। उक्त बैयनामा दिनांकित 12.08.2016 को उप-पंजियक महोदय, कोटकासिम ने विधिवत रूप से पुस्तक सं० 1 जिल्द संख्या 284 में पृष्ठ संख्या 59 क्रम संख्या 2016001363 पर पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या जिल्द संख्या 909 के पृष्ठ संख्या 27 से 32 पर चस्पा किया गया है। मिन अप्रार्थीया अपनी उक्त खरीदशुद्धा भूमि की सदमावी क्रेता है और खरीद वक्त से ही मिन अप्रार्थीया अपने उक्त खरीदशुद्धा हिस्से पर आज तक बदस्तूर काबिज व दखिल होकर काशत करती चली आ रही है। मौके पर मिन अप्रार्थीया का उक्त खरीदशुद्धा भूमि पर वास्तविक कब्जा काशत है और कहा कि प्रार्थीया ने 12.08.2016 को ख० न० 186 का 1/4 हिस्सा खरीद किया अगर दोनो पक्षकारो ने विनिमय पत्र किया हो तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। बल्कि मैं सदमावी क्रेताओं मौके पर काबिज काशत है। इसलिए तीनों बिन्दु हक में साबित है। जिसमें मैंने आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1202, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 560, आर.आर.टी. 2016-17(SUPP) पेज 492 व 637 की नजीर पेश की है।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। चूंकि दोनो प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काशतकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र संख्या 179/16 व 246/16 एक ही मूल प्रार्थना पत्र धारा 49 राजस्थान काशतकारी अधिनियम की पत्रावली के साथ पेश हुए हैं, इसलिए उभय पक्षकारान अधिवक्ता के निवेदन पर दोनो प्रार्थना पत्र पर एक साथ बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली पर सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान अध्ययन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त व हस्तगत प्रकरण की परिस्थितिया भिन्न-भिन्न होने के कारण प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नहीं होते हैं। प्रार्थी न्यायालय में तबादला विलेख के आधार पर भूमि विनिमय के अनुतोष बाबत उपस्थित आया है, जबकि अप्रार्थीया आदेश 1 निम्न 10 जाब्ता दीवानी द्वारा पक्षकार बनी है, अप्रार्थीया वादभूमि के खसरा न० 186 के 1/4 हिस्सा की क्रेता है। प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया है, उसकी विधिमान्यता के सम्बन्ध में मूल प्रार्थना पत्र की सुनवाई में तय किया जाएगा। वादभूमि में कब्जे के

170


सम्बन्ध में पक्षकारान की वर्तमान स्थिति क्या है? इन सभी बिन्दुओं का निर्धारण मूल प्रार्थना पत्र में सुनवाई के पश्चात गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा। अप्रार्थीया ने दौराने वाद स्टे के बावजूद भूमि को क्रय किया है। अप्रार्थीया को इसकी जानकारी थी या नहीं थी, रजिस्ट्री के आधार पर अप्रार्थीया के हकों की अवधारणा व रक्षा जैसे बिन्दुओं पर मूल प्रार्थना पत्र में सुनवाई पश्चात गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा। मगर प्रार्थी के पास वाद कारण है व प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।

वादभूमि की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन व वादभूमि के रहन, बैय अंतरण से मूल वाद कारण प्रभावित होगा, वाद में अनावश्यक पक्षकार बढेंगे, वाद विलष्टता व वाद बहुलता का जन्म होगा। प्रार्थी द्वारा सुधार की गई भूमि के अन्तरण से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व असुविधा भी होगी।

इसके साथ ही अप्रार्थीया द्वारा भी भूमि क्रय की गई, अप्रार्थीया सदभावी क्रेता है, व सदभावी क्रेता के हितों की रक्षा करना भी विधिसम्मत है। अप्रार्थीया वादभूमि के रजिस्टर्ड बैयनामा के आधार पर काबिज काश्तकार है व अप्रार्थीया के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी उत्पन्न करना उसके हितों के विपरीत है। प्रार्थी का भी कोई हक नहीं है कि वह अप्रार्थीया के कब्जा काश्त भूमि में दखलन्दाजी करे।

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हस्तगत प्रार्थना पत्रों 179/16 व 246/16 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में दिनांक 12.07.2016 व 09.09.2016 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश में परिवर्तन कर ताफैसला मूल प्रार्थना पत्र धारा 49 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वादभूमि को रहन, बैय व दीगर तरीके से अन्तरण न करे। खसरा न० 711 में प्रार्थी के कब्जा काश्त में स्वयं या दीगर अपने आदमियों द्वारा दखलन्दाजी न करे। वादभूमिद आराजी खं० न० 411/4-03, 32/2-16, 131/1-11, 132/3-06, कुल कित्ता 4 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा के 1/3 भाग से व 186/8-03 का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम गुणसार तहसील कोटकासिम जिला-अलवर के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान रिकार्ड व मौका की यथा स्थिति कायम रखे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
राजकुमार कस्वा (R.AS)  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटकासिम(अलवर)